खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

संख्या 1263/दै0श्रमि0पत्रा0/2017–18/दे0दून दिनांक 29 नवम्बर, 2017

समस्त जिला क्रीड़ा अधिकारी
उत्तराखण्डं

विषयः– जिला खेल कार्यालयों में तैनात दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का दैनिक मूल मजदूरी के संबंध में।

निदेशालय स्तर पर प्राप्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का दैनिक मूल मजदूरी प्रकरण के संबंध में शासन के पत्र संख्या 417/VI/2017–34(8)/2017 दिनांक 24.07.2017 के द्वारा तत्क्रम में श्रम एवं सेवा योजन विभाग की अधिसूचना संख्या 346 दिनांक 06.03.2013 की छायाप्रति संलग्न करते हुये अधिसूचना में उल्लेखित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु देय मूल मजदूरी हेतु दिये गये दिशा–निर्देशों के संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

अतः उक्त शासनादेश की छायाप्रति अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। तद्नुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

(प्रशांत आर्या)
संयुक्त निदेशक खेल

संख्या–417 /VI/2017–34(8)/2017

प्रेषक,

दिनेश कुमार पुनेठा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग **देहरादून : दिनांक 24 जुलाई, 2017**

विषय : जिला खेल कार्यालयों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु ₹71.00 के स्थान पर ₹350.00 किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–292/दै0मज0पत्रा0/2016–17, दिनांक 06 जून, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिला खेल कार्यालयों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु ₹71.00 के स्थान पर ₹350.00 किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्री पाल्ल
29.7.17

2– तत्क्रम में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की अधिसूचना संख्या–346, दिनांक 06 मार्च, 2013 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना में उल्लिखित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु देय मूल मजदूरी हेतु दिये गये दिशा–निर्देशों के संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :–यथोपरि ।

भवदीय,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\August 2015\misc folder\Letter.doc.doc

उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायोजन वेभाग

संख्याः /VIII/13--228(श्रम)/2001
देहरादून, दिनाँकः 06 मार्च, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचना संख्याः 622/VIII/228 श्रम टीसी--II/2001, दिनाँक 10 मई 2005 को अधिक्रमित करते हुए, अधिसूचना संख्याः 887/VIII/12--228 (श्रम)/2001, दिनाँक 06 अगस्त 2012 द्वारा प्रकाशित प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर राज्य सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात सम्यक् विचारोपरान्त, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से परिशिष्ट–1 में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 203 अंक पर निम्नवत होगीः--

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3
		रूपये प्रतिमाह
1	अकुशल	5050
2	अर्द्धकुशल	5330
3	कुशल	5610
4	अतिकुशल	6080
5	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	
	(क) श्रेणी--एक	6080
	(ख) श्रेणी–दो	5730

टिप्पणीः- कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट--2 में दिया गया है।

2. **परिवर्तनीय महंगाई भत्ताः–**

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के अंक 203 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को रू0 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का 1/26 से कम न होगी।

4 घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 8 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तद्नुरूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

6. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नही होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उसे में कटौती नहीं की जायेगी।